

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-244

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

ताप और जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन

***244. श्री लाल सिंह वड़ोदिया:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में जल विद्युत केन्द्रों द्वारा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है;

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) जल विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत और ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत कितनी आती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"ताप और जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : दिनांक 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार, जल विद्युत तथा ताप विद्युत स्टेशनों की संस्थापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 45,699 मेगावाट और 2,30,190 मेगावाट है। चालू वर्ष 2019-20 के दौरान (फरवरी, 2020 तक) जल विद्युत तथा ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत क्रमशः लगभग 146.7 बिलियन यूनिट और लगभग 960 बिलियन यूनिट है।

(ग) : ताप तथा जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के उत्पादन की लागत अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है:

1. ईंधन का प्रकार - कोयला, लिग्नाइट, गैस, नापथा, डीजल आदि।
2. कोयले का स्रोत - कोयले की लागत आयातित कोयला और देशी कोयले के लिए अलग-अलग होती है। विभिन्न देशी खदानों से कोयले की लागत भी अलग-अलग होती है।
3. संयंत्र स्थान - खदानों के समीप स्थित संयंत्र कोयला खदानों से दूर स्थित संयंत्रों की तुलना में कम ढुलाई प्रभारों का भुगतान करते हैं।
4. संयंत्र की दक्षता और संयंत्र की प्रौद्योगिकी। सबक्रिटिकल विद्युत संयंत्रों की तुलना में सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्र अधिक दक्ष होते हैं।
5. निर्माण का समय - नये संयंत्रों की तुलना में पुराने संयंत्रों की निर्धारित लागत कम होती है।
6. जल विद्युत संयंत्रों के मामले में, उत्पादन की लागत पानी की उपलब्धता, बांध के प्रकार, संयंत्र के स्थान आदि पर निर्भर करती है।

इस प्रकार, जल विद्युत स्टेशनों और ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पादन की प्रति यूनिट लागत ऐसे प्रत्येक विद्युत संयंत्र के लिए भिन्न होती है। चालू वर्ष 2019-20 के दौरान कुछ केंद्रीय क्षेत्र की उत्पादन कम्पनियों की प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की औसत लागत अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

"ताप और जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान कुछ केंद्रीय उत्पादन कम्पनियों का विद्युत उत्पादन प्रति यूनिट औसतन लागत (रु/यूनिट)

क्र. सं.	उत्पादन कम्पनी	विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट औसतन लागत (रु/यूनिट)	
		जल	ताप
01.	डीवीसी	2.86	4.95
02.	एनटीपीसी	4.77	3.79
03.	एनएचपीसी	3.30	-
04.	एसजेवीएनएल	2.53	-
05.	टीएचडीसी	5.02	-
06.	नीपको	3.50	-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-252

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के घाटे में कमी लाने के लिए तकनीकी सहायता

*252. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आगामी वर्षों में बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने और ऋण को घटाने में मदद करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार उनके घाटे को कम करने में मदद करने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता देने और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के घाटे में कमी लाने के लिए तकनीकी सहायता" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 252 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : जी, हां। भारत सरकार वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्यों तथा वितरण यूटिलिटीयों को सहायता प्रदान कर रही है और इस प्रकार हानियां कम करती है। ऊर्जा लेखांकन को सुकर बनाने के लिए फीडरों के पृथक्करण, आईटी सक्षमीकरण, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों और उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत राज्य वितरण यूटिलिटीयों को अनुदान स्वीकृत तथा जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करके वितरण यूटिलिटीयों द्वारा परिचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउण्ड हेतु, सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में, सरकार ने संसद में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने और डिस्कॉमों में सुधार लाने के अपने निश्चय की सूचना दी है, ताकि हानियों को कम किया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2696

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन में कमी

2696. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत चार वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 20 प्रतिशत पर्याप्त योगदान के बावजूद भी देश में विद्युत उत्पादन की समग्र वृद्धि प्रायः स्थिर रही है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर पारंपरिक जल विद्युत उत्पादन के संबंध में ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति का क्या कारण है;
- (ग) क्या नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए नीतिगत बदलाव के भाग के रूप में जल विद्युत उत्पादन को कम किया गया है; और
- (घ) यदि नहीं तो जल विद्युत स्रोत समेत पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन में कमी होने के अन्य क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, नहीं। हां। जल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित परंपरागत ईंधन स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन वर्ष 2015-16 में 1.17 बिलियन यूनिट (बीयू) से 5.45% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 में 1.38 बीयू हो गया है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, नहीं। जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जल स्रोतों से विद्युत का उत्पादन वर्ष 2015-16 में 0.121 बीयू से 3.3% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 में 0.134 बीयू हो गया है। किसी भी नीति के हिस्से के रूप में जल विद्युत उत्पादन को कम नहीं किया गया है। बल्कि जल विद्युत परियोजनाओं, विशेषकर व्यवस्ततम कालीन एवं संतुलन विद्युत की बढ़ती आवश्यकता के कारण पम्प भण्डारण परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी) (>25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करने, नई परियोजनाओं से गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर पृथक एंटीटी के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को अनिवार्य करने, जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तीकरण उपायों, बाढ़ संतुलन/भण्डारण विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) और समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों और पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता सहित जल विद्युत क्षेत्र के संवर्धन के लिए मार्च 2019 में अनेक उपायों का अनुमोदन किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, विशेषकर आरंभिक वर्षों में पूंजीगत लागत के साथ-साथ परियोजना टैरिफ में कमी आएगी। जिससे परियोजना की व्यवहार्यता एवं विक्रयशीलता में सुधार होगा, और इस प्रकार जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) : यद्यपि, विद्युत की उत्पादन उसकी मांग पर निर्भर करता है, तथापि, जल विद्युत सहित पारंपरिक स्रोतों से विद्युत के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। पारंपरिक स्रोतों से विद्युत का उत्पादन वर्ष 2015-16 में 1.1 बीयू से 4.09% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हुए वर्ष 2018-19 में 1.25 बीयू हो गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2697

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2.0

2697. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चालू वर्ष में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2.0 शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में कमियां, यदि कोई हों, पाई गई हैं, और उनको ठीक किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण राज्यों तथा राज्य वितरण यूटिलिटीयों द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में, सरकार ने संसद को सूचित किया है कि वे वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे और यह भी कि विद्युत मंत्रालय स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने का इच्छुक है। सरकार ने राज्यों को प्रभावी डिस्कॉम सुधार करने के लिए सक्षम बनाने तथा प्रोत्साहन देने और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों को संस्थागत सुधारों से जोड़ने से संबंधित निर्णय भी लिए हैं। तथापि, उपर्युक्त के संबंध में कोई नई स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है।

जबकि हरियाणा की वितरण यूटिलिटीयों ने उदय के अंतर्गत कायापलट किया है, किन्तु कुछ यूटिलिटीयों उदय के अंतर्गत परिकल्पित सुधार परिपाटियों का पालन नहीं कर सकी हैं। इसके कारणों में लागत को प्रतिबिंबित नहीं करने वाला टैरिफ; सब्सिडियों का अपर्याप्त बजटीकरण; उच्च सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां आदि शामिल हैं। राज्यों को सरकारी विभाग की देयताओं को पूरा करने और इसका मासिक निस्तारण सुनिश्चित करने; ऊर्जा लेखांकन की सख्त व्यवस्था बनाने; हर महीने समय पर सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित करने; एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए अभियान शुरू करने; और तीन साल की अवधि में सभी उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर/प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2698

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू की गई लारा परियोजना के कारण
विस्थापित परिवार के सदस्यों को रोजगार

2698. श्री मोतीलाल बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में लारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने से कितने परिवार विस्थापित हुए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी द्वारा विस्थापितों के कौशल उन्नयन हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है, यदि नहीं, तो एनटीपीसी द्वारा उन्हें कब तक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्वावलंबी बन सकें;
- (ग) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी प्रभावित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है; और
- (घ) यदि नहीं, तो अब तक विस्थापित परिवार के कितने सदस्यों को रोजगार प्रदान किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) एवं (ख) : भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, (आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम) के अनुसार विस्थापित कुटुंब की परिभाषा निम्नानुसार है:

“विस्थापित कुटुंब से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है जिसकी भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन किया जाता है।”

यह उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी लारा के निर्माण हेतु किसी भी भू-स्वामी से कोई रिहायशी क्षेत्र अधिगृहीत नहीं किया गया है और इसलिए लारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण किसी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है।

एनटीपीसी लारा ने, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को आय अर्जन करने/स्व-रोजगार का अवसर देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय/प्रभावित परिवारों के लिए समय-समय पर अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) योजना के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी लारा ने आस-पास की जनता के क्षमता निर्माण के लिए पसूरी स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की सहायता की है ताकि यह एक मॉडल आईटीआई बन सके। इसके अलावा, रायगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज को चरणबद्ध ढंग से कुल 100 करोड़ रुपये जारी करने के लिए एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), नया रायपुर के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह एनटीपीसी द्वारा रायगढ़ स्थित किरोड़ीमल प्रौद्योगिकी संस्थान (केआईटी) को प्रदान की गई 10 करोड़ रुपये की सहायता के अतिरिक्त है।

(ग) एवं (घ) : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभावित परिवारों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु “छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति, 2007” (समय-समय पर संशोधित) की घोषणा की है जो एनटीपीसी लारा परियोजना पर भी लागू होती है।

तदनुसार, कलेक्टर, रायगढ़ की अध्यक्षता में ग्राम विकास सलाहकार समिति (वीडीएसी) में पणधारियों के साथ अनेक परामर्शों के बाद एनटीपीसी, लारा के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) योजना तैयार की गई थी। आर एंड आर योजना में “छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति, 2007” के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, जिसे तदनंतर कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया था और वीडिएसी बैठक में पणधारियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि एनटीपीसी लारा में अब तक 31 पीएपी ने वार्षिक भत्ते का उपभोग किया है और 1789 पीएपी ने एकबारगी निपटान का लाभ लिया है। शेष 629 के लिए, राज्य प्रशासन द्वारा पीएपी का सत्यापन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विज्ञापन सं. डब्ल्यूआर-11/रायपुर:01/2019 द्वारा आईटीआई के विभिन्न ट्रेड/डिप्लोमा/स्नातक के तहत 79 पदों के लिए रिक्तियां पीएपी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से अधिसूचित की गई हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1345 प्रभावित/स्थानीय व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	09 परियोजना प्रभावित गांवों के लिए संविदा श्रमिक (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल)	498
2	छत्तीसगढ़ से संविदा श्रमिक (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल)	730
3	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए टॉऊनशिप में दुकानों का आबंटन	14
4	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए वाहन किराये पर लेना	33
5	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए पीएपी वेंडर	56
6	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए सहकारी समितियां	14
कुल		1,345

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2699

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत उत्पादन की स्थिति

2699. डा. सस्मित पात्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में विद्युत उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत में विद्युत उत्पादन में कितनी नई परियोजनाएं शुरू की जाने वाली है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष (फरवरी, 2020 तक) के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक के परम्परागत इंधन स्रोतों (ताप, जल और नाभिकीय) से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2020 तक) के दौरान राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) : देश में नई विद्युत परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, उनकी संख्या में 39031.15 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 62 ताप विद्युत परियोजनाएं, 12973.5 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 38 जल विद्युत परियोजनाएं और 7,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 06 नाभिकीय विद्युत संयंत्र शामिल हैं। ताप, जल और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-III, अनुबंध-IV और अनुबंध-V** में दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के अंत तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसकी तुलना में 86,759 मेगावाट की क्षमता संस्थापित कर दी गई है और 33,720 मेगावाट की क्षमता संस्थापना के अधीन है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी, 2020 तक) के दौरान देश में 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के परंपरागत ईंधन स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर) से राज्य-वार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

राज्य	29.02.2020 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू में)					
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (फरवरी, 20 तक)*
दिल्ली	2208.4	8722.83	6206.1	6253.26	7048.7	7136.04	5624.27
हरियाणा	5971.59	28748.61	22247.14	18890.44	26605.97	25435.43	16560.57
हिमाचल प्रदेश	9809.02	33573.52	38586.58	37049.74	38783	35908.55	39123.6
जम्मू और कश्मीर **	3624	14485.02	15136.15	15377.69	14937.56	16541.58	17036.71
पंजाब	6776.3	23306.29	23662.7	26866.42	29452.35	30699.66	25365.77
राजस्थान	11774.13	54185.92	53947.35	51792.17	51643.61	56978.26	52172.95
उत्तर प्रदेश	24843.74	111901.74	111329.53	120142.11	128542.28	122772.4	115609.8
उत्तराखंड	4206.35	11439.22	12765.92	14250.54	15606.6	14995.36	15581.76
छत्तीसगढ़	23248	79710.57	89513.29	105686.18	110041.76	115714.33	107573.83
गोवा	48	12.61	0	0	0	0	0
गुजरात	26213.41	105538.54	104917.26	99748.61	96519.87	96591.35	99086.3
मध्य प्रदेश	22725	74822.34	95361.99	98239.84	111173.47	121677.77	111764.23
महाराष्ट्र	32620.08	107699.34	117622.94	118451.85	124468.3	137023.78	120632.43
आंध्र प्रदेश	18135.344	46532.53	59463.73	66080.06	62961.57	63143.82	58281.51
कर्नाटक	14029.4	50163.29	47553.25	43766.67	44668.81	49756.96	39774.59
केरल	2550.04	8034.17	6653.34	4130.61	5248.02	7325.09	5019.02
पुडुचेरी	32.5	102.14	227.59	246.84	226.45	229.88	233.16
तमिलनाडु	19007.081	71418.41	76406.83	84581.68	82386.3	83778.51	75784.38
तेलंगाना	9588.1	39614.86	35635.06	42559.33	48804.2	49963.03	48045.62
अंडमान निकोबार	40.048	153.76	182.85	215.56	258.79	120.73	85.03
बिहार	6390	18272.27	20827.01	24514.85	28440.03	32170.52	32276.83
झारखंड	4800	23219.46	26268.41	25970.09	27624.58	26981.63	24189.79
ओडिशा	11942.25	51332.44	57221.8	55841.18	46512.83	46824.37	43329.51
सिक्किम	2169	3345.29	3551.92	4330.4	8887.99	9022.07	10714.58
पश्चिम बंगाल	15586.2	66695.55	64641.81	74516.5	74705.22	76952.06	68631.29
अरुणाचल प्रदेश	815	1109.48	1280.25	1249.01	1416.74	1399.02	1698.16
असम	1719.205	4387.7	4697.17	6178.47	6232.89	7224.98	7479.25
मणिपुर	141	372.44	536.64	741.07	837.74	602.61	343.86
मेघालय	322	775.29	860.94	719.6	1140.26	929.53	985.7
मिजोरम	60				78.37	168.44	169.9
नागालैंड	75	165.15	163.14	258.94	274.39	231.47	176.39
त्रिपुरा	1132.1	3824.44	5109.38	5873.89	5999.27	6630.85	5722.67
भूटान (आयात)	0	5007.74	5244.21	5617.34	4778.33	4406.62	5711.99
कुल जोड़	282602.288	1048672.96	1107822.28	1160140.94	1206306.25	1249336.7	1154785.45

** तद्दाख सहित

* वास्तविक सह-मूल्यांकन पर आधारित

टिप्पणी: 1. केवल 25 मेगावाट एवं उससे अधिक के परंपरागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर) के स्टेशनों से सकल उत्पादन।

2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य एवं निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2020 तक) के दौरान राज्य-वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वर्ष-वार राज्य-वार							
						(सभी आंकड़े एमयू में)	
क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जनवरी, 2020 तक)
1	चंडीगढ़	2.23	3.40	13.16	7.87	13.51	10.22
2	दिल्ली	116.63	128.97	144.73	241.09	287.65	362.64
3	हरियाणा	470.69	1343.15	449.54	560.70	662.36	606.45
4	हिमाचल प्रदेश	1685.08	1921.77	2015.58	1903.05	2287.93	1907.04
5	जम्मू और कश्मीर	313.23	304.79	326.12	324.37	312.20	389.79
6	लद्दाख						0.00
7	पंजाब	1159.29	1474.20	2149.49	2343.87	2445.21	2232.83
8	राजस्थान	5596.57	6600.24	7973.85	9484.23	11863.41	11684.91
9	उत्तर प्रदेश	3075.02	3201.49	3638.26	4606.29	5694.80	3703.21
10	उत्तराखंड	664.38	703.42	999.19	1184.50	1104.97	993.97
11	एनटीपीसी दादरी/एफबीडी/ऊंचाहार/सिंगरौली/भादला*	22.90	42.41	74.90	480.99		
12	ऑयल इंडिया लिमिटेड (राजस्थान)*	126.93	193.67	227.20	251.25		
13	छत्तीसगढ़	1066.29	1202.42	1446.22	1069.21	945.09	880.14
14	एनटीपीसी राजगढ़/रावजमल/मंदसौर *	62.94	81.00	82.21	381.99		
15	गुजरात	7222.27	8003.73	9497.99	11759.63	13976.86	14850.83
16	मध्य प्रदेश	1427.51	2910.42	5268.67	6292.90	8246.45	6845.08
17	महाराष्ट्र	10283.93	10756.58	11292.70	12036.98	14974.91	11743.66
18	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.50	1.31	5.23	5.76	4.93
19	दमन और दीव	0.15	4.25	14.43	18.53	18.94	17.60
20	गोवा						0.54
21	ऑयल इंडिया लिमिटेड (मध्य प्रदेश और गुजरात)*	0.00	2013.04	3187.85	6354.11		
22	आंध्र प्रदेश	2711.06	1093.57	2507.34	4438.65	14550.51	11890.19
23	तेलंगाना	802.86	5825.85	7846.60	11847.28	7045.98	5468.76
24	कर्नाटक	9694.90	5314.53	3599.62	6152.15	21657.53	21382.97
25	केरल	629.64	567.33	490.13	675.87	770.33	701.02
26	एनटीपीसी रामागुंडम/अनंतपुरम *	15.62	16.02	350.53	426.37		
27	तमिलनाडु	11902.39	9331.47	15153.87	16179.86	16898.48	17603.61
28	लक्षद्वीप	46.09	1.02	1.59	1.79	1.12	0.53
29	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.34	1.17	2.58	3.41
30	अंडमान और निकोबार	0.47	18.72	20.03	19.65	30.42	14.99
31	बिहार	209.13	165.11	292.53	309.06	488.14	263.45
32	झारखंड	8.32	19.77	38.47	19.47	19.14	13.52
33	ओडिशा	329.82	434.45	507.71	517.56	653.44	663.04
34	सिक्किम	20.88	41.93	35.78	30.54	28.10	57.88
35	पश्चिम बंगाल	1553.63	1608.15	1569.77	1590.54	1486.16	1222.61
36	डीवीसी	146.86	118.26	14.09	9.54	2.63	1.60
37	एनटीपीसी अंडमान/तलचर *	18.79	18.91	20.00	20.43		
38	अरुणाचल प्रदेश	51.94	18.44	27.43	0.70	1.75	1.80
39	असम	64.52	90.94	14.15	24.49	52.69	54.26
40	मणिपुर	0.00	0.00	0.01	0.15	1.88	3.57
41	मेघालय	66.94	65.96	59.10	70.56	50.51	56.01
42	मिजोरम	34.86	27.62	49.62	54.67	40.09	43.75
43	नगालैंड	84.14	88.73	92.73	91.00	87.46	69.61
44	त्रिपुरा	29.37	18.47	46.47	44.48	50.12	22.23
45	नीपको *	0.98	6.15	6.89	6.71		
	कुल	61719.25	65780.85	81548.21	101839.48	126759.09	115772.65

* वर्ष 2018-19 से, सीपीएसयू का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संबंधित राज्य के, जिनमें ये संयंत्र वास्तविक रूप से स्थित हैं, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आंकड़ों में शामिल है।

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र		
1	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी	यू-1	660
2	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी	यू-2	660
3	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी	यू-3	660
4	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	यू-4	250
5	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम	यू-2	660
6	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम	यू-3	660
7	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
8	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	660
9	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-3	660
10	गाडरवारा टीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	800
11	खरगोन टीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	660
12	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	800
13	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-2	500
14	तेलंगाना फेज-1/एनटीपीसी	यू-1	800
15	तेलंगाना फेज-1/एनटीपीसी	यू-2	800
16	लारा एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	800
17	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम	यू-2	660
18	टांडा टीपीपी स्टे.-II/ एनटीपीसी	यू-6	660
19	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी जेवी	यू-1	660
20	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी जेवी	यू-2	660
21	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी जेवी	यू-3	660
22	बरसिंगसर टीपीपी एकसटैं./एनएलसी	यू-1	250
23	बिथनोक टीपीपी/एनएलसी	यू-1	250
24	पतरातु एसटीपीपी/एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लि.	यू-1	800
25	पतरातु एसटीपीपी/एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लि.	यू-2	800
26	पतरातु एसटीपीपी/एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लि.	यू-3	800
27	राऊरकेला पीपी-II एकसपेंशन/एनटीपीसी-सेल पावर कं. लि.	यू-1	250
28	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660
29	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-2	660
30	बक्सर टीपीपी	यू-1	660
31	बक्सर टीपीपी	यू-2	660
	कुल (केंद्रीय क्षेत्र)		19780
	राज्य क्षेत्र		
1	नागरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल/भेल	एसटी	36.15
2	डॉ. एन. टी. राव टीपीएस स्टे.-V/एपीजेनको	यू-1	800

3	श्री दामोदरम टीपीएस स्टे.-II/एपीजैको	यू-1	800
4	सूरतगढ़ टीपीएस/आरआरवीयूएनएल	यू-7	660
5	सूरतगढ़ टीपीएस/आरआरवीयूएनएल	यू-8	660
6	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको	यू-1	270
7	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको	यू-2	270
8	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको	यू-3	270
9	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको	यू-4	270
10	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैको)/टेनजेडको	यू-1	660
11	एन्नोर एससीटीपीपी/टेनजेडको	यू-1	660
12	एन्नोर एससीटीपीपी/टेनजेडको	यू-2	660
13	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III/टेनजेडको	यू-1	800
14	अपर एससीटीपीपी/टेनजेडको	यू-1	800
15	अपर एससीटीपीपी/टेनजेडको	यू-2	800
16	हरदुआगंज एक्सपें.-II टीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
17	येलहांका सीसीपीपी/केपीसीएल	जीटी+एसटी	370
18	जवाहरपुर एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
19	जवाहरपुर एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-2	660
20	ओबरा-सी एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
21	ओबरा-सी एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-2	660
22	यादादरी टीपीएस/टीएसजैको/भेल	यू-1	800
23	यादादरी टीपीएस/टीएसजैको/भेल	यू-2	800
24	यादादरी टीपीएस/टीएसजैको/भेल	यू-3	800
25	यादादरी टीपीएस/टीएसजैको/भेल	यू-4	800
26	यादादरी टीपीएस/टीएसजैको/भेल	यू-5	800
27	पंकी टीपीएस एक्सटें./यूआरवीयूएनएल	यू-1	660
28	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I/टेनजेडको	यू-1	660
29	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I/टेनजेडको	यू-2	660
30	भुसावल टीपीएस/महाजैको	यू-6	660
	कुल (राज्य क्षेत्र)		18726.15
	निजी क्षेत्र		
1	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/एसईपीसी	यू-1	525
	कुल (निजी क्षेत्र)		525
	कुल जोड़		39031.15

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार

(29.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला कार्यान्वयन एजेंसी	नदी/बेसिन	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र				
1	पकल दुल 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू व कश्मीर/सीवीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का संयुक्त उद्यम)	मरूसदर/चिनाब/सिन्धु	1000
2	किरू 4x156=624 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू व कश्मीर/किश्तवाड/सीवीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का संयुक्त उद्यम)	चिनाब/सिन्धु	624
3	पारबती स्टे.-II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/कुल्लू/एनएचपीसी	पारबती/ब्यास/सिन्धु	800
4	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/लोअर सुबानसिरी, धेमाजी/एनएचपीसी	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र	2000
5	तीस्ता- VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/साउथ सिक्किम/लैंको/एनएचपीसी	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	500
6	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड /चमोली/एनटीपीसी	धौलीगंगा/अलकनंदा व गंगा	520
7	रम्माम-III 3x40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	पश्चिम बंगाल/दार्जिलिंग/एनटीपीसी लि.	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र	120
8	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/चमोली/एनटीपीसी	धौलीगंगा/अलकनंदा व गंगा	171
9	टिहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टिहरी गढ़वाल/टीएचडीसी	भीलंगना/भागीरथी/गंगा	1000
10	विष्णुगाड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/चमोली/टीएचडीसी	अलकनंदा/गंगा	444
11	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट (2 यूनिटें प्रचालनाधीन)	यू-3 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/वेस्ट कामेंग/नौपको	बिचोम व टेंगा/कामेंग/ब्रह्मपुत्र	300
12	नैटवर मोरी 2x30=60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/उत्तरकाशी/एसजेवीएनएल	टोन्स/यमुना/गंगा	60
13	रत्ले# 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	एनएचपीसी/ जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लि. (जेकेएसपीडीसी)	चिनाब/सिन्धु	850
			उप-जोड़ (केंद्रीय):		8389
	राज्य क्षेत्र				
14	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जेएंडके/पूंच/जेकेएसपीडीसी	झेलम/सिन्धु	37.5
15	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट	यू-1 से यू-2	जेएंडके/किश्तवाड/जेकेएसपीडीसी	चिनाब/सिन्धु	48
16	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	पंजाब/गुरदासपुर/सिंचाई विभाग व पीएसपीसीएल	रावी/सिन्धु	206
17	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/मंडी/ब्यास वैली पावर कारपो. लि. (बीवीपीसी)	उहल/ब्यास/सिन्धु	100
18	सवारा कुड्डू 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/शिमला/एचपीपीसीएल	पन्बार/टोन्स/गंगा	111

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला कार्यान्वयन एजेंसी	नदी/बेसिन	क्षमता (मेगावाट)
19	शॉगटॉग करचम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/एचपीपीसीएल	सतलुज/सिन्धु	450
20	व्यासी 2X60=120 मेगावाट	यू- 1 & यू- 2	उत्तराखंड/देहरादून/यूजेवीएनएल	यमुना/गंगा	120
21	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र/सतारा/डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार	कोयना/कृष्णा/ईएफआर	80
22	पोलावरम 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	आंध्र प्रदेश/ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी/एपजैको/ सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	गोदावरी/ईएफआर	960
23	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/इदुक्की/केएसईबी	मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर	60
24	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/इदुक्की/केएसईबी	थोटियार/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर	40
25	कुंडहा पम्पड स्टोरेज (फेज-I, फेज-II व फेज-III) 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से 4	तमिलनाडु/नीलगिरीस/टेनजेडको	कुंडहा/भवानी/कावेरी/ईएफ आर	500
			उप-जोड़ (राज्य):		2712.5
	निजी क्षेत्र				
26	सोरांग 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 व यू-2	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/हिमाचल सोरांग पावर	सोरांग/सतलुज/सिन्धु	100
27	टंगनु रोमई-1 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/शिमला/टंगु रोमई पावर जेनरेशन	पब्वार/टोन्स/यमुना/गंगा	44
28	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/चंबा/जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	रावी/सिन्धु	180
29	टिडोंग-1 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/मैसर्स स्टारक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि.	टिडोंग/सतलुज/सिन्धु	100
30	फाटा ब्युंग 2x38= 76 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग/मैसर्स लैंको	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	76
31	सिंगोली भटवारी 3x33= 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग/एलएंडटी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	99
32	महेश्वर## 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	मध्य प्रदेश/खरगोन व खंदवाल/ एसएमएचपीसीएल	नर्मदा/सीआईआरएस	400
33	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/वेस्ट सिक्किम/जल पावर कारपो. लि.	रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	120
34	भास्मे 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/ईस्ट सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	रांगपो/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	51
35	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/वेस्ट सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	66
36	रॉचनीचू 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/ईस्ट सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	रॉचनीचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	96
37	पनन 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/नॉर्थ सिक्किम/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	रंगयांगचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	300
38	कुटेहर 3x80= 240 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/चंबा/जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर) लि.	रावी/सिन्धु	240
			उप-जोड़ (निजी):		1872
	कुल (सी.एस.+एस.एस.+पी.एस.)				12973.5

जम्मू व कश्मीर सरकार, पीडीडी ने 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। परियोजना को संयुक्त उद्यम मोड में कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत भागीदारी) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत भागीदारी) के बीच समझौता ज्ञापन पर 03.02.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

एक अग्रणी ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में बड़ी इक्विटी अर्थात 51 प्रतिशत इक्विटी हासिल की है। मामला न्यायाधीन है।

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	एजेंसी	क्षमता
1	काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट	गुजरात	एनपीसीआईएल	1400
2	राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट	राजस्थान	एनपीसीआईएल	1400
3	पीएफबीआर (कलपक्कम)	तमिलनाडु	भाविनी	500
4	कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (यू-3 व 4)	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	2000
5	जीएचएवीपी (यू-1)	हरियाणा	एनपीसीआईएल	700
6	कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (यू-5)	तमिलनाडु	एनपीसीआईएल	1000
कुल जोड़				7000

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2700

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

सतत ऊर्जा अवसंरचना

2700. डॉ. प्रभाकर कोरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्तमान समय में ऊर्जा प्रणाली में चल रहे महत्वपूर्ण संरचनागत बदलाव तभी कारगर होंगे जब अग्रसक्रिय उपाय किए जाएंगे;
- (ख) क्या भारतीय ऊर्जा कंपनियां इन ऊर्जा परिवर्तनों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेज गति से अपनाने तथा उसके अनुकूल बनने के लिए कदम उठा रही हैं; और
- (ग) यदि हां, तो ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकने योग्य सतत ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : यह एक सत्य है कि वर्तमान में देश में ऊर्जा प्रणाली में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। भारत में विद्युत तक पहुंच एकल राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के सृजन और ताप विद्युत एवं नवीकरणीय क्षमता में काफी निवेशों के माध्यम से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत की विद्युत प्रणाली विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बड़ी भागीदारी की तरफ बड़े बदलाव का अनुभव कर रही है। जो प्रणाली एकीकरण एवं लचीले वरीयता क्षेत्र बना रही है। सरकार ने सतत विकास और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत सरकार ने ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को समेकित करने के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

- अंतर-राज्यीय और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली को मिलाकर हरित ऊर्जा कॉरिडोर,
- अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत पार्कों के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली,
- नवीकरणीय स्रोत बाहुल्य राज्यों में 11 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना,
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण योजना (66.5 गीगावाट) आदि।

इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि नई आवश्यकताओं के साथ अनुकूलन के लिए अवसंरचना के आधुनिकीकरण सहित विद्युत का वितरण राज्यों एवं उनकी विद्युत यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार सुदृढ़, लचीली एवं अनुकूल वितरण प्रणाली के निर्माण में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता में नियर रीयल टाइम ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, पर्यवेक्षक नियंत्रण और आंकड़ा संग्रहण प्रणाली (स्काडा), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/प्रचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) समर्थकृत फीडर सरकारी भवनों का रूपटॉफ सौर ऊर्जाकरण आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में संधारणीय ऊर्जा अवसंरचना को हासिल करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय उद्योगों, उपकरणों, भवनों, परिवहन, कृषि और मांग पक्ष प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक उपाय कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2701

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

पुराने प्रदूषित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का बंद किया जाना

2701. श्री भास्कर राव नेक्कांति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1 फरवरी 2020 को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा यथा उल्लिखित ऐसे कितने पुराने प्रदूषित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं, जिन्हें बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है और बंद करने की यथा निर्धारित तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दी गई है और विकासक जानकारी और स्थान की सूची क्या है; और
- (ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण कितने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद किया गया है, इनको बंद किए जाने के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ग) : विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसरहित गतिविधि है और विद्युत उत्पादन इकाइयों को बंद करने का निर्णय संबंधित यूटिलिटियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक कारणों के आधार पर स्वयं लिया जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल, 2014 से अब तक 43 ताप विद्युत स्टेशनों/संयंत्रों की 10,002.88 मेगावाट क्षमता की 102 इकाइयों को, ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यकाल, उनकी दक्षता एवं उनके द्वारा उत्सर्जन मानदंडों की अनुपालना आदि जैसे तकनीकी-वाणिज्यिक कारणों के आधार पर हटाया जा चुका है (सूची अनुबंध-I पर संलग्न है)। सीईए ने पुराने ताप विद्युत स्टेशनों/संयंत्रों की शेष इकाइयों, जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकती हैं, की स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, 5,489 मेगावाट की 39 इकाइयों, जिन्होंने फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना के लिए अपनी योजना प्रस्तुत नहीं की है, को यदि वे एमओईएफएंडसीसी तथा सीपीसीबी द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए सुधारात्मक कार्य नहीं करती हैं, हटाए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) : पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ब्यौरे सहित विगत पांच वर्षों के दौरान जिन 39 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। उनका ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2701 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2014 के बाद से बंद की गई कोयला आधारित यूनिटों की सूची (12.03.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र क नाम	राज्य	यूनिटों की संख्या	यूनिट सं.	बंद की गई क्षमता (मेगावाट)	को बंद की गई
1	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश	1	1	62.50	जुलाई, 2014
2	अमरकंटक टीपीएस	मध्य प्रदेश	2	3,4	240.00	04.03.2016
3	न्यू कोसीपोर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	4	1,2,3,4	160.00	04.04.2016
4	पानीपत टीपीएस	हरियाणा	4	1,2,3,4	440.00	12.04.2016
5	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	4	1,2,3,4	420.00	02.08.2016
6	चंद्रपुर (महा) Sटीपीएस	महाराष्ट्र	2	1,2	420.00	21.10.2016
7	पार्ली टीपीएस	महाराष्ट्र	1	3	210.00	21.10.2016
8	दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	1	3	130.00	21.10.2016
9	पतरातु टीपीएस	झारखंड	5	1,2,3,5,8	315.00	21.12.2016
10	संतालडीह टीपीएस	पश्चिम बंगाल	4	1,2,3,4	480.00	21.12.2016
11	गांधीनगर टीपीएस	गुजरात	2	1,2	240.00	12.01.2017
12	एन्नोर टीपीएस	तमिलनाडु	1	5	110.00	12.01.2017
13	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	1	1	130.00	17.01.2017
14	ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	1	4	150.00	08.02.2017
15	डीपीएल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	3	3,4,5	220.00	20.02.2017
16	एन्नोर टीपीएस	तमिलनाडु	4	1,2,3,4	340.00	31.03.2017
17	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	1	5	200.00	24.04.2017
18	चंद्रपुर (असम)	असम	2	1,2	60.00	18.08.2017
19	उकई टीपीएस	गुजरात	2	1,2	240.00	18.08.2017
20	सिक्का रिप. टीपीएस	गुजरात	2	1,2	240.00	18.08.2017
21	हरदुआगंज टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1	5	60.00	18.08.2017
22	ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	2	1,2	90.00	18.08.2017
23	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	1	2	210.00	31.08.2017
24	चिनाकुरी टीपीएस	पश्चिम बंगाल	3	1,2,3	30.00	31.08.2017
25	दिशेरगढ़ टीपीएस	पश्चिम बंगाल	4	1,3,4,5	18.00	31.08.2017
26	सीबपोर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	4	1,2,3,4	8.38	31.08.2017
27	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	1	2	130.00	04.09.2017
28	बोकारो 'बी' टीपीएस	झारखंड	2	1,2	420.00	04.09.2017

29	पतरातु टीपीएस	झारखंड	5	4,6,7,9&10	455.00	23.11.2017
30	पंकी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	2	3,4	210.00	16.03.2018
31	ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1	8	94.00	03.04.2018
32	बंदेल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	2	3,4	120.00	20.04.2018
33	भटिंडा टीपीएस	पंजाब	4	1,2,3,4	440.00	31.08.2018
34	रोपर टीपीएस	पंजाब	2	1,2	420.00	31.08.2018
35	बदरपुर टीपीएस	दिल्ली	5	1,2,3,4,5	705.00	30.10.2018
36	कोथागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	3	3,6,8	300.00	19.03.2019
37	कोरबा-II	छत्तीसगढ़	4	1,2,3,4	200.00	13.08.2019
38	ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	1	6	500.00	12.09.2019
39	साबरमती (सी स्टेशन)	गुजरात	2	15,16	60.00	13.09.2019
40	राजघाट टीपीएस	दिल्ली	2	1,2	135.00	23.09.2019
41	पार्ली टीपीएस	महाराष्ट्र	2	4,5	420.00	23.01.2020
42	डी.पी.एल. टीपीएस	पश्चिम बंगाल	1	6	110.00	28.01.2020
43	कोथागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	1	2	60.00	03.03.2020
कुल			102		10002.88	

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2701 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015 से उन पर्यावरण संयंत्रों की सूची जिन्हें पर्यावरण स्वीकृति दी गई

वर्ष 2015

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जारी करने की तारीख
1.	इब्राहिमपटनम (एम), कृष्णा, आंध्र प्रदेश में डॉ. नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन (डॉ. एनटीटीपीएस) स्टेज-V (1x800 मेगावाट) कंपनी: मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. (एपीजेको)	26.06.2015
2.	मैसर्स आंध्र प्रदेश पावर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एपीपीडीसीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश में गांव नेलातुरु, तहसील मुत्तुकुरु, श्री पोट्टीश्रीरामुलू नेल्लोर में आयातित कोयला आधारित श्री दामोदरम संजीव्याह थर्मल पावर स्टेशन के लिए 1x800 मेगावाट क्षमता (स्टेज-II) से 2x800 मेगावाट (स्टेज-II) की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार।	02.07.2015
3.	सर्वे सं. 56/1, गांव मोरई, तहसील परदी, जिला वलसाड, गुजरात में रिसाइकल पेपर उत्पादन के लिए 20 मेगावाट के कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना कंपनी: मैसर्स एमडब्ल्यूवी इंडिया पेपरबोर्ड पैकेजिंग प्रा. लि. (पूर्व में रूबी मैकन्स लि.)	22.06.2015
4.	गांव लवियामोटा, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में 3960 (6x660) मेगावाट का आयातित कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र कंपनी: मैसर्स नाना लविया पावर कं. लि.	26.6.2015
5.	ओडिशा में मेरामंडली, जिला धंकानल में आयातित कोयला आधारित (165+20) 185 मेगावाट की संस्थापना द्वारा मौजूदा (2x150) 300 मेगावाट टीपीपी का विस्तार कंपनी: मैसर्स भूषण एनर्जी लि.	12.02.2015
6.	ओडिशा में मेरामंडली, जिला धंकानल में आयातित कोयला आधारित (175+3x27) 256 मेगावाट की संस्थापना द्वारा मौजूदा 155 मेगावाट सीपीपी का विस्तार कंपनी: मैसर्स भूषण स्टील लि.	12.02.2015
7.	जिला बरन, राजस्थान में छाबड़ा में गांव चौकी-मोतीपुरा में सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्टेज-II (1x660 मेगावाट - यूनिट-6) की छाबड़ा दूसरी यूनिट कंपनी: मैसर्स राजस्थान राजय विद्युत उत्पादन निगम लि.	02.02.2015
8.	मैसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा गांव सेलदा और डालची, जिला खरगोम, मध्य प्रदेश में 2x660 मेगावाट खरगोम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट	31.03.2015
9.	मैसर्स तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. (टीएसजेको) द्वारा गांव व तहसील पलोचा, जिला खम्माम, तेलंगाना में स्टेज-VII के रूप में 800 मेगावाट की अभिवृद्धि द्वारा सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित कोथागुडेम थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार	16.07.2015
10.	मैसर्स द रामको सीमेंट लि. द्वारा गांव गोविंदपुरम और अमीनाबाद, तालुका एवं जिला अरियालुर, तमिलनाडु में मौजूदा 60 मेगावाट सीपीपी में 6 मेगावाट टरबाइन की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	07.08.2015
11.	कासिमपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज टीपीपी में 1x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल यूनिट की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार कंपनी: मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लि.	12.05.2015
12.	तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में 1980 (3x660) मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल आयातित कोयला आधारित घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन की पर्यावरणीय स्वीकृति कंपनी: मैसर्स नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लि.	17.06.2015

13.	उत्तर प्रदेश में गांव मोहम्मद गंज, तालुक ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में 50 टीपीएच एफबीसी बॉयलर और 8 मेगावाट स्टीम टरबाइन कैप्टिव विद्युत संयंत्र की संस्थापना द्वारा विस्तार/आधुनिकीकरण कंपनी: मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लि.	22.06.2015
14.	दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर कैप्टिव विद्युत परियोजना-III (2x20 मेगावाट) कंपनी: मैसर्स एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लि.	29.09.2015

वर्ष 2016

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जारी करने की तारीख
15.	मैसर्स नाना लायजा पावर कं. लि. द्वारा गांव गोधरा, जिला कच्छ, गुजरात में 2,000 मेगावाट गैस आधारित कंबाईंड साइकिल पावर प्लांट (सीसीपीपी)	29.09.2016
16.	मैसर्स ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लि. द्वारा गांव भेदाबहल, तहसील सुंदरगढ़, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा के समीप 4,000 मेगावाट (6x660 मेगावाट) कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी)	17.10.2016
17.	मैसर्स तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि. (टेनजेडको) द्वारा गांव एन्नोर और पुझुदिवक्कम, तालुक पोन्नेरी, जिला थिरुवल्लूर, तमिलनाडु में 1x800 मेगावाट (स्टेज-III), नॉर्थ चेन्नई टीपीपी की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	20.01.2016
18.	गांव ओट्टापिदरम एवं सिल्लानथम, तालुक ओट्टापिदरम, जिला थुथुक्कुडी, तमिलनाडु में 2x660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कंपनी: मैसर्स केयू थर्मल पावर प्रा. लि.	31.03.2016
19.	गांव वलमवूर एवं थिरुप्पलईकुडी, तहसील तिरुवदानी, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु में 2x800 मेगावाट अपर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कंपनी: मैसर्स तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि. (टेनजेडको)।	18.05.2016
20.	गांव अलाथियुर, तालुक सेनदुरई, जिला अरियालुर, तमिलनाडु में अलियाथुर सीमेंट प्लांट की मौजूदा 2x18 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) में 6 मेगावाट टरबाइन की अभिवृद्धि कंपनी: मैसर्स द रामको सीमेंट्स लि.	04.07.2016
21.	मैसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा गांव व मंडल रामागुंडम, जिला करीमनग, तेलंगाना में 2x800 मेगावाट (स्टेज-IV, तेलंगाना एसटीपीपी, फेज-I) की अभिवृद्धि द्वारा रामागुंडम एसटीपीपी का विस्तार।	20.01.2016
22.	मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा ओबरा, तहसील रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में 2x660 मेगावाट की अभिवृद्धि द्वारा ओबरा टीपीपी का विस्तार।	21.06.2016
22.	मैसर्स जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि. (जेवीयूएनएल) द्वारा गांव मालवां, जिला एटा के समीप 2x660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।	26.10.2016

वर्ष 2017

क्रम सं.	परियोजना/स्थान/विकासकर्ता का नाम	पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की तारीख
23.	मैसर्स एसजेवीएन थर्मल प्रा. लि. द्वारा गांव चौसा, जिला बक्सर, बिहार के समीप 2x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बीटीपीपी)	28.2.2017
24.	मैसर्स तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कं. लि. द्वारा गांव रामानुजावरम, एदुलाबय्यरम एवं सीथारामपुरम, ममंडल मनगुरु एवं पीनापका, जिला भद्रादरी कोथागुडेम (भूतपूर्व जिला खम्माम) में 4x270 (1080 मेगावाट) कोयला आधारित भद्रादरी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस)	15.3.2017
25.	मैसर्स तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कं. लि. द्वारा गांव वीरलापलेम, मंडल दमारचेरला, जिला नालागोंडा, तेलंगाना में 5x800 सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना	29.6.2017

26.	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. द्वारा तालुक खर्जा में गांव दुश्शारखरली, जहांपुर, नैफल एवं रुकानपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 2x660 कोयला आधारित खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	30.3.2017
27.	पंका, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में 1x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल पंकी एक्सटेंशन पावर प्रोजेक्ट मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	29.6.2017
28.	मैसर्स उडुपी पावर कं. लि. द्वारा गांव येल्लुरे एवं संथुरु, तहसील एवं जिला उडुपी, कर्नाटक में पदुबिदरी औद्योगिक क्षेत्र में 2x800 मेगावाट (फेज-II) कोयला आधारित की अभिवृद्धि द्वारा विस्तार	01.08.2017
29.	मैसर्स अदानी पावर (झारखंड) लि. द्वारा गांव मोतिया, गंगता एवं गैघट, तहसील गोड्डा एवं पोरियाहाट, जिला गोड्डा, झारखंड में 1,600 (2x800) मेगावाट गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	31.8.2017
30.	मैसर्स पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा पतरातु, जिला रामगढ़, झारखंड में पतरातु सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फेज-I (3x800 मेगावाट)।	07.11.2017

वर्ष 2018

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जारी करने की तारीख
31.	मैसर्स एम. जी. पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा गांव पेडावीडू, मंडल मतमपल्ली, जिला नालागोंडा, तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित 200 मेगावाट (1x135 मेगावाट और 1x65 मेगावाट) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना।	24.04.2018
32.	मैसर्स तेहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लि. द्वारा तेहखंड, ओखला, दक्षिण पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली में प्रस्तावित 25 मेगावाट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (वेस्ट टू एनर्जी)	26.7.2018
33.	मैसर्स एनटीपीसी लि. द्वारा तालचर शहर, जिला तालचर सदर, जिला अंगुल, ओडिशा के समीप 2x660 मेगावाट (स्टेज-III, विस्तार) कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तालचर ताप विद्युत परियोजना।	12.9.2018
34.	मैसर्स एनएलसी लि. द्वारा गांव मुदानई, कुनाकुरीची, उथंगल, तहसील वृधाचलम, जिला कुड्डालोर, तमिलनाडु में 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना का प्रस्तावित विस्तार।	29.10.2018

वर्ष 2019

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जारी करने की तारीख
35.	मैसर्स भोपाल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रा. लि. द्वारा गांव कोलाखुर्द, आदमपुर छावनी, ब्लॉक फांडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में प्रस्तावित 21 मेगावाट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित विद्युत संयंत्र।	11.01.2019
36.	मैसर्स डीसीएम लि. द्वारा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान में 125.3 मेगावाट से 141 मेगावाट (15.7 मेगावाट) तक विद्युत संयंत्र में आधुनिकीकरण एवं विस्तार।	03.01.2019
37.	मैसर्स तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लि. (टेनजेडको) द्वारा गांव एर्नावुर, जिला एन्नोर, तमिलनाडु में 1x660 मेगावाट एन्नोर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (विस्तार)।	12.12.2019
38.	मैसर्स ओडिशा थर्मल पावर कं. लि. द्वारा गांव अन्नपूर्णा खमर, तालुक कामाख्यानगर, जिला धंकानल, ओडिशा में 3x800 मेगावाट कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ग्रीनफील्ड)।	10.12.2019
39.	मैसर्स सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लि. द्वारा गांव पेगड़ापल्ली, मंडल जयपुर, जिला मंचेरियल, तेलंगाना में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित सिंगरैनी थर्मल पावर प्लांट (2x600 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक विस्तार)।	18.12.2019

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2702

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ई-गतिशीलता कार्यक्रम

2702. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ई-गतिशीलता कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो अब तक प्राप्त की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ देश भर के विभिन्न राजमार्गों पर विद्युत गतिशीलता के लिए पब्लिक चार्जिंग अवसंरचना का नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहमति ज्ञापन संबंधी निबंधन और शर्तें क्या-क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी) के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने एक स्कीम अर्थात फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाईब्रिड एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम निरूपित की है। इस स्कीम का पहला चरण 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर दो वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था जिसमें बाद में समय-समय पर विस्तार किया गया और अंतिम विस्तार 31 मार्च, 2019 तक अनुमेय था। प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

स्कीम के पहले चरण में लगभग 2.8 लाख हाईब्रिड एवं इलैक्ट्रिक वाहनों को लगभग 359 करोड़ रुपये की लागत से, 425 इलैक्ट्रिक एवं हाईब्रिड बसों को 300 करोड़ रुपये की लागत पर मांग प्रोत्साहन के रूप में सहायता दी गई और 500 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचनाएं 43 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत की गई थीं। फेम के दूसरे चरण के अंतर्गत, आज तक 50 करोड़ रुपये की लागत पर मांग प्रोत्साहन के रूप में 15878 ई-वाहनों को सहायता दी गई। इसके अलावा, 2800 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से 5595 ई-बसों और 500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के 2636 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी और एनटीपीसी,

विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने क्रमशः 68 एवं 72 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। ईईएसएल ने 10,000 ई-कारों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 1514 ई-कारों को सरकारी संगठनों में लगाने के अलावा, इन वाहनों के लिए 488 कैप्टिव चार्जर स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) : ईईएसएल ने देशभर में विभिन्न राजमार्गों पर इलैक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के नेटवर्क की स्थापना के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस एमओयू के अनुसार, ईईएसएल सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के प्रचालन एवं रख-रखाव के साथ-साथ सेवाओं पर पूरा अग्रिम निवेश करेगा, जबकि भेल संकल्पना से लेकर शुरुआत होने तक पूरी इंजीनियरिंग, प्रापण एवं प्रारंभ (ईपीसी) उपलब्ध कराएगी। एमओयू में उपयुक्त स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों का अभिनिर्धारण, आयोजना, विकास एवं स्थापना के लिए सहयोग शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2703

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाना

2703. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल लगभग 35 गीगावाट की करीब 103 निजी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं और सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान देने के बावजूद ये परियोजनाएं अभी भी शुरू की जानी हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलंब के क्या कारण हैं;
- (ग) सुबनसिरि जलविद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विलंब के क्या कारण हैं;
- (घ) उत्तर-पूर्व में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व में जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने विभिन्न विकासकर्ताओं को 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की 103 जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित की थीं जिनमें से 92 जलविद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आबंटित की गई थीं। 103 परियोजनाओं में से, एक सीपीएसयू.नीपको को आबंटित 515 मेगावाट की दो परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं। नीपको की 600 मेगावाट कॉमिंग जलविद्युत परियोजना की 4 यूनिटों में से 2 भी चालू की जा चुकी हैं और शेष 2 यूनिटें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चालू होंगी हैं। एनएचपीसी को आबंटित सुबनसिरी लोवर परियोजना (2000 मेगावाट) निमार्णाधीन है और इसके 2023-24 में चालू होने का कार्यक्रम है।

92 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में से, गोंगरी एचई परियोजना (144 मेगावाट) का निर्माण शुरू हुआ है किंतु, इस समय, विकासकर्ता के वित्तीय मामलों के कारण रूका हुआ है और तत्पश्चात अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह आबंटन समाप्त कर दिया गया है। सीईए द्वारा 13,518 मेगावाट की 14 परियोजनाओं के लिए और राज्य सरकार द्वारा 397 मेगावाट की 7 परियोजनाओं के लिए डीपीआर हेतु सहमति दी गई है। बेसिन अध्ययनों इत्यादि के बाद 1181 मेगावाट की 11 परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं। राज्य सरकार सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही है और जहां विकासकर्ताओं द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई है, उन परियोजनाओं के आबंटन समाप्त किए जा रहे हैं। आज की तारीख तक, कुल 4,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की 16 परियोजनाओं का आबंटन समाप्त किया जा चुका है। जलविद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास, पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों इत्यादि जैसी प्रक्रियाओं में कई वर्ष लग जाते हैं।

(ग) : सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (8x250=2000 मेगावाट) की वर्तमान स्थिति तथा देरी के कारण परिशिष्ट पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व में विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें बहुत-सी रूकी हुई परियोजनाओं अर्थात् तीस्ता-III (1200 मेगावाट), सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट), तीस्ता-VI (500 मेगावाट) तथा रंगित-IV (120 मेगावाट) का पुनरुद्धार शामिल है। इसके अतिरिक्त अरूणाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना अर्थात् एनएचपीसी की दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना (2,880 मेगावाट) के लिए निवेश-पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया है। जलविद्युत क्षेत्र के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसके संवर्धन के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, मार्च, 2019 में विभिन्न उपायों अर्थात् (i) बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषणा करना, (ii) चालू हुई नई परियोजनाओं के लिए और पूर्व परियोजनाओं की असंबद्ध क्षमता के लिए गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक पृथक एन्टिटी के रूप में जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ), (iii) टैरिफ के युक्तीकरण के उपाय, (iv) समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता और (v) बाढ़ में कमी लाने के लिए बजटीय सहायता का अनुमोदन किया। ये उपाय उत्तर-पूर्व सहित सम्पूर्ण देश में जलविद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे।

विद्युत मंत्रालय ने नवंबर, 2019 में समय एवं लागत आधिक्य को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-डायरी की शुरुआत, परियोजना स्तर पर बढ़ी हुई शक्तियों का प्रत्यायोजन, समयबद्ध निर्णय लेना और देरी आदि के लिए शीर्ष प्रबंधन को उत्तरदायी ठहराना आदि शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, बाधाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान करने के लिए नियमित बैठकें भी की जाती हैं।

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2703 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित परिशिष्ट।

अरुणाचल प्रदेश में, दिनांक 29.02.2020 तक एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सुबनसिरी लोअर एचईपी (8x250=2000 मेगावाट) की स्थिति

- बांध (116 मी. ऊंचाई तथा 217 मी. लंबाई):- बांध की 53.42% कंक्रीट तथा 96% इंटेक कंक्रीटिंग पूरी हुई।
- हेड रेस टनल (9.5 मी. व्यास):- 98% हेडिंग एक्सकेवेशन, 73.65% बैचिंग एक्सकेवेशन तथा 56.80% कंक्रीट ओवर्ट लाइनिंग पूरी हुई।
- सर्ज टनल (28x19x62 मी. डीप ओवल शेष x 8):- हेडिंग एक्सकेवेशन 86.40% तथा बैचिंग एक्सकेवेशन 12% पूरा हुआ।
- प्रेशर शाफ्ट (8 मी. व्यास):- 384 मी. में से 199 मी. (51.82%) वर्टिकल पीएस स्लेशिंग।
- पॉवर हाऊस (285 मी. x 61 मी. x 64 मी. साइज):- खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा 35% कंक्रीटिंग पूरी हो गई है।
- इलैक्ट्रो मेकेनिकल वर्क्स:-
यूनिट-1 एल्बो इरेक्शन (1 से 6) तथा टरबाइन स्टे रिंग तथा स्पाइरल केस निर्माण पूरा हो गया है।
यूनिट-11 एल्बो इरेक्शन (2 से 6) तथा टरबाइन स्टे रिंग तथा स्पाइरल केस निर्माण पूरा हो गया है।
- हाइड्रो मेकेनिकल कार्य:
डाइवर्जन टनल गेट्स का निर्माण: 51.80% पूरा हो गया है इंटेक गेट्स का निर्माण: 8% पूरा हो गया है कुल 1594 मी. में से 293 मी. प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर का निर्माण किया गया है।
- परियोजना को सितम्बर, 2023 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है।

सुबनसिरी लोअर एचईपी की खुदाई में विलंब के कारण

- वन भूमि के हस्तांतरण में विलंब।
- अरुणाचल प्रदेश की साइड पर स्थानीय लोगों द्वारा काम का रोका जाना।
- जनवरी, 2008 में पॉवर हाऊस में स्लोप का विफल होना।
- रंगानदी नदी पर पुल को नुकसान।
- सर्ज टनल के लिए सर्ज शाफ्ट के डिजाइन में परिवर्तन।
- असम में निर्माण कार्य दिसंबर, 2011 में कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन के चलते अवरुद्ध हो गए थे।
- माननीय एनजीटी ने दिनांक 11.12.2015 के आदेश के तहत कार्य को दोबारा प्रारंभ किया। तथापि माननीय एनजीटी ने दिनांक 31.07.2019 के अपने आदेश के तहत आवेदनों को निरस्त कर दिया है तथा निर्माण कार्य 15.10.2019 से पुनः शुरू हो गया है और कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2704

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

पर्यावरण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर
विद्युत संयंत्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई

2704. श्री भास्कर राव नेक्कांति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3305(ई), दिनांक 7 दिसंबर 2015 के अंतर्गत कितने विद्युत संयंत्रों को समय-सीमा के अनुसार प्रदूषण कम करने का अनुपालन नहीं करने के लिए पर्यावरण संबंधी नुकसान की भरपाई और उन्हें बंद करने के दंड से दण्डित किया गया है;
- (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3305(ई), दिनांक 7 दिसंबर 2015 के अंतर्गत फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफ.जी.डी.) को संस्थापित करने के लिए प्रदान की गई समय-सीमा का अब तक अनुपालन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विद्युत संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या उपर्युक्त उल्लिखित अनुपालन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही नहीं की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने 7 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड (एसओएक्स), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), जल खपत और मरकरी के लिए नए पर्यावरणीय मानदंड अधिसूचित किए हैं। देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, 1,61,402 मेगावाट की क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना और 64,525 मेगावाट की क्षमता के लिए संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक प्रेसिपिटेटर के उन्नयन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पणधारियों के साथ परामर्श करके एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 तक कार्यान्वित की जाएगी) तैयार की गई थी और यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 13.10.2017 को प्रस्तुत की गई थी।

तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत टीपीपी को निर्देश जारी किए। सीपीसीबी ने सूचित किया है कि जो टीपीपी विनिर्दिष्ट समय-सीमा तक नए उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें अनुपालन न करने वाला माना जाएगा और वे संयंत्रों की बंदी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

सीईए ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/सीपीसीबी द्वारा दिए गए निर्धारित समय में वर्तमान पर्यावरणीय मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए ताप विद्युत स्टेशनों को पत्र भी भेजे हैं। अभी तक, सीपीसीबी ने 31.01.2020 को 14 टीपीपी की 31 यूनिटों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इस आश्रय के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि संयंत्रों की अनुपालन नहीं करने वाली यूनिटों को क्यों न बंद कर दिए जाए और सीपीसीबी निर्देशों का लगातार अनुपालन नहीं करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्यों नहीं लगाई जाए। इन 14 तापीय पावर संयंत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने दिनांक 26.02.2020 के अपने पत्र द्वारा 4 टीपीपी की 11 यूनिटों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत बंद करने के लिए निदेश/कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन चार ताप विद्युत संयंत्रों की सूची **अनुबंध-II** में संलग्न है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2704 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार उन ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जिन्हें सीपीसीबी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए

क्रम सं.	ताप विद्युत संयंत्र	यूनिट सं. (क्षमता मेगावाट में)
1.	विजाग हिंदुजा टीपीपी, एचएनपीसीएल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	2 (520)
2.	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी, एपीपीडीसीएल, एसपीएसआर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	2 (800)
3.	अरावली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (इंदिरा गांधी एसटीपीपी), एनटीपीसी, झज्जर, हरियाणा	1 (500) 2 (500) 3 (500)
4.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, एचपीजीसीएल, पानीपत, हरियाणा	6 (210), 7 (250) 8 (250)
5.	दीनबंधु छोटू राम टीपीएस, एचपीजीसीएल, यमुनानगर, हरियाणा	1 (300) 2 (300)
6.	राजीव गांधी टीपीपी, एचपीजीसीएल, हिसार, हरियाणा	1 (600) 2 (600)
7.	राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, नाभा पावर लि., पटियाला, पंजाब	1 (700) 2 (700)
8.	तलवंडी साबो पावर लि., मंसा, पंजाब	1 (660), 2 (660), 3 (660)
9.	गुरु हरगोविंद सिंह टीपीएस, पीएसपीसीएल, लेहरा मोहब्बत, भटिंडा, पंजाब	1 (210), 2 (210) 3 (250), 4 (250)
10.	सिंगरैनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एससीसीएल, अदीलाबाद, तेलंगाना	1 (600) 2 (600)
11.	कोथागुडेम (न्यू) थर्मल पावर स्टेशन, टीएसजेको, खम्माम, तेलंगाना	11 (500)
12.	नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन-II, टेनजेडको, चेन्नई, तमिलनाडु	1 (600)
13.	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	3 (210), 4 (210), 5 (490), 6 (490)
14.	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	8 (250) 9 (250)
	कुल	31 यूनिटें (13,830 मेगावाट)

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2704 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 26.02.2020 की स्थिति के अनुसार उन ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जिन्हें सीपीसीबी द्वारा निदेश जारी किए गए

क्रम सं.	ताप विद्युत संयंत्र	यूनिट सं. (क्षमता मेगावाट में)
1.	गुरु गोबिंद सिंह टीपीएस, पीएसपीसीएल, रोपर, पंजाब	3 (210) 4 (210) 5 (210) 6 (210)
2.	चंद्रपुरा टीपीएस, डीवीसी, चंद्रपुरा, झारखंड	3 (130)
3.	कोथागुडेम टीपीएस स्टेज I-IV), टीएसजेको, कोथागुडेम, तेलंगाना	1 (60) 2 (60) 4 (60) 5 (120) 7 (120)
4.	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	7 (105)
	कुल	11 यूनिटें (1495 मेगावाट)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2705

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

गांवों में विद्युत की मांग में वृद्धि

2705. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के गांवों में विद्युत की मांग में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, देशभर में सभी आवासित जनगणना 2011 गांव 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत हो गए हैं। गांवों की विद्युत की मांग के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा में वृद्धि क्रमशः 6.1 प्रतिशत एवं 5.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा की राज्य-वार वृद्धि अनुबंध में दी गई है।

(ग) : विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- (i) देश में ताप एवं जल विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं;
- (ii) 1700 मेगावाट की न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाएं आयोजन के अग्रिम चरण में हैं;
- (iii) सरकार का सौर, पवन, बायोमास एवं लघु जल विद्युत सहित नवीकरणीय स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य है जिसमें से 86,759 मेगावाट की क्षमता संस्थापित कर दी गई है और 33,720 मेगावाट की क्षमता संस्थापना के अधीन है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2705 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि

क्षेत्र / राज्य	2017-18				2016-17				वृद्धि / अंतर	
	ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की उपलब्धता	आधिकास/ कमी (-)		ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की उपलब्धता	आधिकास/ कमी (-)		मांग में वृद्धि	उपलब्धता में वृद्धि
			एमयू	%			एमयू	%		
चंडीगढ़	1610	1601	-9	-0.5	1645	1645	0	0.0	-2.1%	-2.6%
दिल्ली	31826	31806	-19	-0.1	30830	30799	-31	-0.1	3.2%	3.3%
हरियाणा	50775	50775	0	0.0	48894	48894	0	0.0	3.8%	3.8%
हिमाचल प्रदेश	9399	9346	-53	-0.6	8832	8779	-54	-0.6	6.4%	6.5%
जम्मू एवं कश्मीर	18808	15050	-3759	-20.0	17397	14196	-3201	-18.4	8.1%	6.0%
पंजाब	54812	54812	0	0.0	53098	53098	0	0.0	3.2%	3.2%
राजस्थान	71194	70603	-591	-0.8	67838	67417	-421	-0.6	4.9%	4.7%
उत्तर परदेश	120052	118303	-1749	-1.5	107569	105700	-1869	-1.7	11.6%	11.9%
उत्तराखंड	13457	13426	-31	-0.2	13070	12987	-83	-0.6	3.0%	3.4%
उत्तरी क्षेत्र	371934	365723	-6211	-1.7	349172	343513	-5659	-1.6	6.5%	6.5%
छत्तीसगढ़	25916	25832	-84	-0.3	23750	23699	-51	-0.2	9.1%	9.0%
गुजरात	109984	109973	-12	0.0	103704	103703	-1	0.0	6.1%	6.0%
मध्य प्रदेश	69925	69925	0	0.0	65760	65759	0	0.0	6.3%	6.3%
महाराष्ट्र	149761	149531	-230	-0.2	139294	139229	-65	0.0	7.5%	7.4%
दमन एवं द्वीप	2534	2534	0	0.0	2397	2397	0	0.0	5.7%	5.7%
दादरा एवं नगर हवेली	6168	6168	0	0.0	6021	6021	0	0.0	2.4%	2.4%
गोवा	4117	4117	0	0.0	4321	4318	-2	-0.1	-4.7%	-4.7%
पश्चिमी क्षेत्र	368405	368080	-326	-0.1	345247	345127	-120	0.0	6.7%	6.7%
आंध्र प्रदेश	58384	58288	-96	-0.2	54301	54257	-44	-0.1	7.5%	7.4%
तेलंगाना	60319	60235	-83	-0.1	53029	53017	-12	0.0	13.7%	13.6%
कर्नाटक	67869	67701	-168	-0.2	66900	66538	-362	-0.5	1.4%	1.7%
केरल	25002	24917	-85	-0.3	24297	24261	-37	-0.2	2.9%	2.7%
तमिलनाडु	106006	105839	-166	-0.2	104511	104488	-24	0.0	1.4%	1.3%
पुदुचेरी	2668	2661	-7	-0.3	2548	2546	-2	-0.1	4.7%	4.5%

लक्षद्वीप	47	47	0	0.0	48	48	0	0.0	-2.7%	-2.7%
दक्षिणी क्षेत्र	320248	319642	-606	-0.2	305586	305107	-480	-0.2	4.8%	4.8%
बिहार	27019	26603	-417	-1.5	25712	25131	-580	-2.3	5.1%	5.9%
डीवीसी	21549	21373	-176	-0.8	18929	18790	-138	-0.7	13.8%	13.7%
झारखंड	7907	7753	-154	-1.9	7960	7906	-53	-0.7	-0.7%	-1.9%
ओडिशा	28802	28706	-96	-0.3	26759	26756	-3	0.0	7.6%	7.3%
पश्चिम बंगाल	50760	50569	-191	-0.4	47949	47809	-140	-0.3	5.9%	5.8%
सिक्किम	485	484	0	-0.1	474	474	0	0.0	2.2%	2.1%
अंडमान-निकोबार	328	299	-29	-8.9	240	180	-60	-25.0	36.8%	66.2%
पूर्वी क्षेत्र	136522	135489	-1034	-0.8	127783	126868	-916	-0.7	6.8%	6.8%
अरुणाचल प्रदेश	799	788	-10	-1.3	728	713	-15	-2.1	9.7%	10.6%
असम	9094	8779	-315	-3.5	9021	8692	-329	-3.6	0.8%	1.0%
मणिपुर	874	827	-46	-5.3	764	738	-26	-3.4	14.4%	12.1%
मेघालय	1557	1553	-3	-0.2	1714	1714	0	0.0	-9.2%	-9.4%
मिजोरम	497	488	-9	-1.7	513	499	-13	-2.6	-3.1%	-2.2%
नागालैंड	794	774	-20	-2.5	758	743	-15	-1.9	4.7%	4.2%
त्रिपुरा	2602	2553	-49	-1.9	1642	1621	-22	-1.3	58.4%	57.5%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16216	15763	-453	-2.8	15140	14720	-420	-2.8	7.1%	7.1%
अखिल भारतीय	1213326	1204697	-8629	-0.7	1142929	1135334	-7595	-0.7	6.2%	6.1%

नोट : लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय मांग एवं उपलब्धता का भाग नहीं होती है।

वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि

क्षेत्र / राज्य	2018-19				2017-18				वृद्धि / अंतर	
	ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की उपलब्धता	मांग में वृद्धि		मांग में वृद्धि	ऊर्जा की उपलब्धता	आधिक्य/ कमी (-)		मांग में वृद्धि	उपलब्धता में वृद्धि
	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू
चंडीगढ़	1571	1571	0	0.0	1610	1601	-9	-0.5	-2.4%	-1.9%
दिल्ली	32299	32282	-17	-0.1	31826	31806	-19	-0.1	1.5%	1.5%
हरियाणा	53665	53665	0	0.0	50775	50775	0	0.0	5.7%	5.7%
हिमाचल प्रदेश	9850	9618	-232	-2.4	9399	9346	-53	-0.6	4.8%	2.9%
जम्मू एवं कश्मीर	18988	15616	-3372	-17.8	18808	15050	-3759	-20.0	1.0%	3.8%
पंजाब	55328	55315	-13	0.0	54812	54812	0	0.0	0.9%	0.9%
राजस्थान	79815	79626	-189	-0.2	71194	70603	-591	-0.8	12.1%	12.8%
उत्तर परदेश	117133	116149	-984	-0.8	120052	118303	-1749	-1.5	-2.4%	-1.8%
उत्तराखंड	13845	13753	-92	-0.7	13457	13426	-31	-0.2	2.9%	2.4%
उत्तरी क्षेत्र	382493	377595	-4898	-1.3	371934	365723	-6211	-1.7	2.8%	3.2%
छत्तीसगढ़	26471	26417	-54	-0.2	25916	25832	-84	-0.3	2.1%	2.3%
गुजरात	116372	116356	-15	0.0	109984	109973	-12	0.0	5.8%	5.8%
मध्य प्रदेश	76056	76054	-2	0.0	69925	69925	0	0.0	8.8%	8.8%
महाराष्ट्र	158295	158157	-137	-0.1	149761	149531	-230	-0.2	5.7%	5.8%
दमन एवं द्वीप	2558	2558	0	0.0	2534	2534	0	0.0	1.0%	1.0%
दादरा एवं नगर हवेली	6303	6302	0	0.0	6168	6168	0	0.0	2.2%	2.2%
गोवा	4295	4292	-3	-0.1	4117	4117	0	0.0	4.3%	4.2%
पश्चिमी क्षेत्र	390349	390136	-212	-0.1	368405	368080	-326	-0.1	6.0%	6.0%
आंध्र प्रदेश	63861	63804	-58	-0.1	58384	58288	-96	-0.2	9.4%	9.5%
तेलंगाना	66489	66427	-62	-0.1	60319	60235	-83	-0.1	10.2%	10.3%
कर्नाटक	71764	71695	-69	-0.1	67869	67701	-168	-0.2	5.7%	5.9%
केरल	25016	24898	-118	-0.5	25002	24917	-85	-0.3	0.1%	-0.1%
तमिलनाडु	109482	109380	-102	-0.1	106006	105839	-166	-0.2	3.3%	3.3%
पुदुचेरी	2766	2756	-10	-0.3	2668	2661	-7	-0.3	3.7%	3.6%
लक्षद्वीप	46	46	0	0.0	47	47	0	0.0	-0.8%	-0.8%
दक्षिणी क्षेत्र	339377	338960	-417	-0.1	320248	319642	-606	-0.2	6.0%	6.0%
बिहार	30061	29825	-236	-0.8	27019	26603	-417	-1.5	11.3%	12.1%

डीवीसी	22745	22372	-372	-1.6	21549	21373	-176	-0.8	5.5%	4.7%
झारखंड	8737	8490	-247	-2.8	7907	7753	-154	-1.9	10.5%	9.5%
ओडिशा	32145	32115	-30	-0.1	28802	28706	-96	-0.3	11.6%	11.9%
पश्चिम बंगाल	51471	51287	-184	-0.4	50760	50569	-191	-0.4	1.4%	1.4%
सिक्किम	527	527	0	-0.1	485	484	0	-0.1	8.8%	8.8%
अंडमान-निकोबार	346	323	-23	-6.7	328	299	-29	-8.9	5.4%	8.0%
पूर्वी क्षेत्र	145686	144616	-1070	-0.7	136522	135489	-1034	-0.8	6.7%	6.7%
अरुणाचल प्रदेश	869	859	-9	-1.1	799	788	-10	-1.3	8.7%	9.0%
असम	9566	9238	-328	-3.4	9094	8779	-315	-3.5	5.2%	5.2%
मणिपुर	905	895	-10	-1.2	874	827	-46	-5.3	3.6%	8.1%
मेघालय	1957	1956	-2	-0.1	1557	1553	-3	-0.2	25.7%	25.9%
मिजोरम	643	635	-8	-1.2	497	488	-9	-1.7	29.4%	30.1%
नागालैंड	888	795	-93	-10.5	794	774	-20	-2.5	11.9%	2.7%
त्रिपुरा@	1863	1841	-22	-1.2	2602	2553	-49	-1.9	-28.4%	-27.9%
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16691	16219	-472	-2.8	16216	15763	-453	-2.8	2.9%	2.9%
अखिल भारतीय	1274595	1267526	-7070	-0.6	1213326	1204697	-8629	-0.7	5.0%	5.2%

नोट : लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय मांग एवं उपलब्धता का भाग नहीं होती है। @ बांग्लादेश को निर्यातित ऊर्जा को छोड़कर
